



समक्ष, रिटनिंग आफिसर

270- दरियावाड विधानसभा उमरपट्टा

संलग्न पारुप 26

०९-१-३०

सिद्धांत

प्ररूप-26

(नियम 4 क देखिए)

270 दाराबाद निवाचन क्षेत्र से 3550/12 के निवाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र :-

मैं..... शिव कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी..... राम राई
..... आयु..... 66 (वर्ष) जो..... का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निवाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करती हूँ/शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ,

1. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

- (i) मामलों/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याए.....
- (ii) पुलिस थाना (थानें)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है।

(iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवेचना की गयी.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे।

(vi) क्या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं। मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डविष्ट किये हैं/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डविष्ट किय गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याए.....
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है।.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाये गये थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये है.....

स्थान : दाराबाद

तारीख : 19-1-12

शिव कुमार
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गयी है।

..... दाराबाद स्थान पर आज तारीख 19-1-12 को सत्यापित किया गया।

शिव कुमार
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्रारूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिये जाये।